भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या 199
गुरुवार, 2 फरवरी, 2023/13 माघ, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

चेहरा पहचानने संबंधी प्रौद्योगिकी

199. श्री फिरोज वरुण गांधी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जहां चेहरा पहचानने की प्रौद्योगिकी (एफआरटी) शुरू की गई है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस प्रणाली को लागू करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विमानपत्तनों पर एफआरटी सेवाएं प्रदान करने वाली निजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कंपनियों का चयन निविदा के माध्यम से किया गया था और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या यात्रियों को एफआरटी प्रक्रिया से बाहर रहने का विकल्प दिया गया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा यात्रियों के आकड़ों को लीक होने से रोकने के लिए कौन-कौन से सुरक्षा उपाय किए गए हैं; और

(छ) प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ उत्पन्न होने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) और (ख): चेहरे की पहचान करने की तकनीक (एफ़आरटी) के आधार पर यात्रियों को संपर्क-रहित, कागज-रहित चेक-इन तथा बोर्डिंग प्रक्रिया प्रदान करने के लिए दिल्ली, बेंग्लोर तथा वाराणसी हवाईअड्डों पर डिजी यात्रा शुरू की गई है। चरण-I के तहत मार्च 2023 तक कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा तथा हैदराबाद हवाईअड्डों पर तथा तत्पश्चात चरणबद्ध रूप से देश में विभिन्न हवाईअड्डों पर डिजी यात्रा के क्रियान्वयन की योजना बनाई गई है।

(ग) और (घ): मैसर्स डाटाइवोल्व सॉल्यूशंस ने एफ़आरटी आधारित डिजी यात्रा सेन्ट्रल इकोसिस्टम तैयार किया है। इसका चयन, अटल नवाचार अभियान के तहत नीति आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्टार्ट-अप प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया है।

(ड.) से (छ): डिजी यात्रा, हवाईअड्डों पर यात्रियों को निर्बाध तथा परेशानी रहित अनुभव प्रदान करने की स्वैच्छिक सुविधा है। डिजी यात्रा प्रक्रिया में, यात्रियों की व्यक्तिगत पहचान की जानकारी (पीआईआई) के डाटा का कोई केंद्रीय संग्रहण नहीं किया जाता। यात्रा का सम्पूर्ण डाटा एन्क्रिप्टेड (encrypted) होता है तथा यात्री के स्मार्टफोन के वालेट में जमा रहता है एवं मूल हवाईअड्डा, जहां यात्री के डिजी यात्रा आईडी को सत्यापन की आवश्यकता होती है, के साथ बहुत सीमित समयावधि के लिए साझा किया जाता है। उड़ान के 24 घंटों के भीतर इस डाटा को सिस्टम से हटा दिया जाता है। डिजी यात्रा का क्रियान्वयन, एफ़आरटी के माध्यम से संपर्क-रहित यात्री सत्यापन की सुविधा प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न टच-पाइंट्स, जैसे कि हवाईअड्डे में प्रवेश क्षेत्र,

सुरक्षा जांच क्षेत्र (एसएचए) तथा बोर्डिंग क्षेत्र, पर सीआईएसएफ़ का हस्तक्षेप न होने के कारण, समय की बचत होती है।

****